रखरखाव की कमी से बर्बाद हो रहे हैं आग बुझाने वाले उपकरण

जनसत्ता संवाददाता

कोलकाता, 13 सितंबर। महानगर व उपनगरों में रखरखाव की कमी से आग बुझाने वाले उपकरण बर्बाद हो रहे हैं। सरकारी, गैर सरकारी इमारतों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आग बुझाने वाले उपकरण के इस्तेमाल की मियाद खत्म होने के बावजूद उसे बदला नहीं जाता है। कुछ उपकरण निष्क्रिय हो गए। यदि आग लग जाए तो स्थिति भयावह हो जाएगी। यह कहना है राज्य के दमकल विभाग के उपनिदेशक गोपाल भट्टाचार्य का। उन्होंने गुरुवार को आग बुझाने वाले गेंदनुमा उपकरण एलायड फायर के उद्घाटन के मौके पर कहा कि मेट्रो रेल समेत अन्य सरकारी इमारतों में भी आग बुझाने वाले उपकरणों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं है।

उन्होंने आग बुझाने वाले नए उपकरण की खासियत से अवगत कराते हुए कहा कि आग लगने के बाद आग फैलने में देर लगती है। यदि शुरुआती दौर में ही एलायड फायर उपकरण इस्तेमाल किया जाए तो आग बुझाने में कामयाबी मिल सकती है। भट्टाचार्य ने कहा कि फायर सर्विस एक्ट 1996 के मुताबिक इमारत निर्माण से पूर्व दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी है। इस एक्ट के तहत यदि इमारत में आग बुझाने वाल उपकरण नहीं होंगे तो इमारत के मालिक को दो से पांच साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस मौके पर श्री श्याम बीयरिंग प्राइवेट लिमिटेड के टेक्नीकल निदेशक अनंत अग्रवाल ने कहा कि करीब 90 फीसद लोग आग बुझाने वाले उपकरण का इस्तेमाल करना नहीं जानते। इस हालत में आग लगने के बाद उपकरण होने के बावजूद लोग आग नहीं बुझा पाते। एलायड फायर का इस्तेमाल बेहद सरल है।

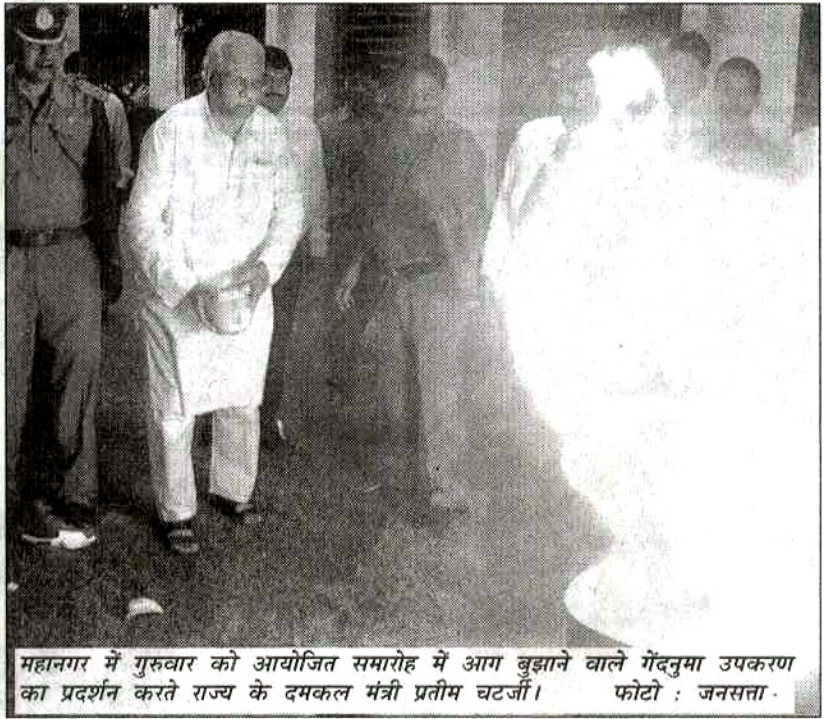

महानगर में गुरुवार को आयोजित समारोह में आग बुझाने वाले गेंदनुमा उपकरण का प्रदर्शन करते राज्य के दमकल मंत्री प्रतीम चटर्जी। फोटो : जनसत्ता

इस मौके पर राज्य के दमकल मंत्री प्रतीम चटर्जी ने एलायड फायर उपकरण का इस्तेमाल कर दिखाया। उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी आग बुझाने के लिए यह उपकरण कारगर साबित होगा। इस उपकरण का वजन 1.3 किलोग्राम है। यह गेंदनुमा उपकरण तीन से दस सेकंड के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है।